




राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033



UO Note

ऐसा ध्यान में आया है कि राज्य के जिला परिषद कार्यालयों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के प्रकरणों में वसूल की गयी राशि को भिन्न-भिन्न बैंक अकाउण्ट में जमा करवाया जा रहा है। जबकि इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा दिनांक 18.01.2021 को जारी आदेश (संलग्न) के अनुसार - Every district programe coordinator or any official on his behalf shall deposit the amount recovered during social audit process in "State Employment Gurantee Fund Account"

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा एक्ट, 2005 के अन्तर्गत जारी Annual Master Circular 2022-23 के बिन्दु संख्या 10.1.9(ii) (d) के अन्तर्गत भी सामाजिक अंकेक्षण के अन्तर्गत वसूली की गई राशि को State Employment Gurantee Fund Account के तहत जमा कराये जाने का प्रावधान किये गये है।

अतः आपसे निवेदन है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) मनरेगा को निर्देशित करने का श्रम करे कि वे सामाजिक अंकेक्षण के अन्तर्गत अब तक हुई वसूली राशि को State Employment Gurantee Fund Account में जमा कराते हुए सोसाईटी को अवगत करावें।

(संदीप चौहान)
निदेशक (SSAAT)

आयुक्त महोदया
मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग
जयपुर

एफ 61(235) SSAAT/Budget/ 2024/ 2022-23-04484/3222

दिनांक 02/09/2024

Signature valid



Digitally signed by Sandeep
Chauhan
Designation: Director
Date: 2024.09.02 18:04:46 IST
Reason: Approved